न्यायालय– विशेष न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005, जैसलमेर।

पीठासीन अधिकारी –: डॉ. मनोज कुमार सोनी

सेशन प्रकरण संख्या –: 02/18 (01/17)

राजस्थान राज्य बनाम तुलछाराम

अपराध अन्तर्गत धारा धारा 5(j)(ii)/6 पोक्सो एक्ट।

प्राथमिकीकर्ता का नाम	सुरेन्द्रसिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी पाण्डूसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ हाल निवासी–53 सादा माईनर पी.एस. मोहनगढ जिला–जैसलमेर।
अभियुक्त का नाम व पता	तुलछाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी मलसीसर पी.एस. सरदार शहर जिला–चुरू
अपराध	**धारा 5(j)(ii)/6 पोक्सो एक्ट।**
अभियुक्त का कथन	आरोप अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।
प्राथमिकी संस्थित करने की दिनांक	03.10.2016
न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुति दिनांक	04.01.2017
अभियोजन साक्षी	पी.डब्लू–1 पीड़िता "G", पी.डब्लू–2 मालसिंह, पी.डब्लू–3 सुरेन्द्रसिंह उर्फ समुन्द्रसिंह, पी.डब्लू–4 सन्तोष कंवर, पी.डब्लू–5 रवि कुमार, पी.डब्लू–6 जसनाथ, पी.डब्लू–7 मुखराम, पी. डब्लू–8 डॉ. अनिल माथुर, पी.डब्लू–9 श्रीमती मनीषा माथुर, पी.डब्लू–10 मालाराम, पी.डब्लू–11 भवानीशंकर उर्फ भजनलाल, पी.डब्लू–12 बनवारीलाल, पी.डब्लू–13 जेठाराम, पी.डब्लू–14 मदनपालसिंह, पी.डब्लू–15 कृष्ण कुमार, पी.डब्लू–16 लक्ष्मणसिंह, पी.डब्लू–17 अलसीराम, पी.डब्लू–18 डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल, पी.डब्लू–19 प्रेमशंकर, पी. डब्लू–20 रामानंद छावल, पी.डब्लू–21 डॉ. भीमपाल गहलोत और पी.डब्लू–22 श्रवणसिंह
अभियुक्त साक्षी	कोई नहीं।
निर्णय रिजर्व करने की दिनांक	29.9.2018
निर्णय दिनांक	29.9.2018
अंतिम निर्णय	दोषसिद्ध
अधिवक्ता राज्य की ओर से	श्री विपिन कुमार व्यास, अपर लोक अभियोजक
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अब्दुल रहमान मेहर,जहांगीर मलिक

:: निर्णय :: **दिनांक**–29.9.18

1– चूंकि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा **5(j)(ii)/6** का आरोप है, अतः धारा 33(7) में प्रदत्त विधि कि ''विशिष्ट न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि अनुसंधान या विचारण के दौरान बालक की पहचान प्रकट नहीं हो'', इसलिए उसका नाम अंकित नहीं किया जा रहा है बल्कि उसे पीड़िता "G" के नाम से संबोधित किया जा रहा है।

2– अभियुक्त के विरूद्ध पुलिस थाना महिला जैसलमेर की ओर से आरोप पत्र अन्तर्गत धारा 376 भा.द.सं. व धारा 3/4 पोक्सो अधिनियम में अपर सैशन न्यायालय, जैसलमेर में पेश किये जाने पर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध उक्त अपराध बाबत प्रसंज्ञान लेते हुए यह प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। तत्पश्चात यह प्रकरण इस न्यायालय का नव–सृजन होने से अंतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है।

3– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि दिनांक 03.10.16 को परिवादी सुरेन्द्रसिंह ने पुलिस थाना महिला जैसलमेर में उपस्थित होकर एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि वह 53 सादा माईनर जैसलमेर में खेती का कार्य करता है। उसके सास ससुर एवं दो साली बलवीर पूनिया के काश्तकार हैं जो चक 30 एसएलडी पर बलवीर पुनिया की ढाणी पर रहते हैं जहां मामराज जाट पुत्र हेतराम व उसका मुनीम तुलछाराम आते रहते हैं। तीन–चार महीने पहले मामराज के मुनीम तुलछाराम ने उसकी साली पीड़िता "G" जो कि 16 साल की है, उसे डरा धमकाकर शादी का लालच देकर बलात्कार किया, उसके बाद से लगातार ढाणी आता और कहता उसे ब्लेकमेल करेगा और जबरदस्ती खोटा काम करता, मामराज ने भी परिवादी की साली को डरा धमकाकर तुलछाराम की बात मानने को मजबूर किया, उसकी साली के पेट में बच्चा ठहर गया है। उन्होने बलवीर पुनिया को भी बताया तो उसने भी धमकाया, चुप रहने को कहा और बच्चा गिराने अन्यथा परिवार को खत्म कर देने का कहा। उक्त रिपोर्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 64/16 अपराध अन्तर्गत धारा 376, 120बी भा.द.सं. व धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

4– अभियुक्त को अपराध अन्तर्गत धारा **5(j)(ii)/6** पोक्सो अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोप से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

5– अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित गवाहान के बयान लेखबद्ध करवाये गये एवं दस्तावेजात प्रदर्शपी–1 लगायत प्रदर्शपी–31 प्रदर्शित करवाये गये।

(दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजात की सूची निर्णय के अन्त में संलग्न है जो कि निर्णय का भाग है)

6— अभियोजन साक्ष्य के पश्चात अभियुक्त का परीक्षण अन्तर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में किया गया तो उसने अभियोजन साक्ष्य एवं दस्तावेजात को गलत होना बताते हुए मिथ्या मुकदमा करना एवं पीड़िता के संबंध उसके बहनोई सुरेन्द्र के साथ थे, सुरेन्द्र ने गलत काम किया, वह निर्दोष है बताया एवं प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश करने से इंकार किया।

7— बहस अंतिम सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अब न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि :—

(1) क्या अभियुक्त ने दिनांक 03.10.16 से 3—4 माह पहले व उसके बाद निरन्तर किसी समय सरहद मौजा चक 30 एसएलडी मोहनगढ में परिवादी की साली पीड़िता जिसकी उम्र करीब 16 वर्ष थी, के साथ उत्तेजित भेदन यौन हमला (Aggravated Penetrative sexual assault) का आपराधिक कृत्य किया ?

(धारा—5(j)(ii)/6 पोक्सो अधिनियम)

(2) यदि हां, तो अभियुक्त किस दण्ड से दण्डनीय होगा ?

8— बहस के दौरान विद्वान अपर लोक अभियोजक का मुख्य रूप से यह कथन रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध धारा **5(j)(ii)/6** पोक्सो अधिनियम के अपराध के आरोप प्रमाणित होते हैं। अतः अभियुक्त को उस पर आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाकर समुचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

9— अधिवक्ता मुल्जिम की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि पत्रावली पर आई साक्ष्य से घटना के वक्त पीड़िता "G" 20 वर्ष की होकर वयस्क थी तथा अभियुक्त पीड़िता "G" को भगाकर नहीं ले गया था। इसके अलावा पीड़िता "G" के अवैध संबंध उसके बहनोई सुरेन्द्र के साथ थे, ने पीड़िता "G" के साथ गलत काम किया, मुल्जिम को झूठा फंसाया गया है तथा अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित एवं साबित करने में असफल रहा है, अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

10— हस्तगत प्रकरण में अवधार्य बिन्दु के संबंध में अभियोजन की ओर से कुल 22 साक्षीगण को प्रस्तुत कर परीक्षित करारया गया है जिनकी साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष इस प्रकार है :—

11— प्रस्तुत प्रकरण की उत्पति परिवादी सुरेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्शपी—4 से हुई है। उक्त सुरेन्द्रसिंह पीड़िता "G" का रिश्ते में जीजा लगता है, अभियोजन साक्षी संख्या—3 के रूप में परीक्षित हुआ है, ने अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि पीड़िता "G" के साथ विवाह को लेकर घटना हुई थी, फिर जुगतसिंह, हुकमसिंह और अन्य कई लोगों ने यहां लाकर मकदमा दर्ज करवा दिया। इसके अलावा उसके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। इस गवाह को अभियोजन की ओर से पक्षद्रोही कराया गया है जिसने अभियोजन द्वारा की गई जिरह में एफआईआर प्रदर्श—4 तथा नक्शा मौका प्रदर्शपी—2 पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है परंतु पुलिस बयान प्रदर्शपी—5 से मना किया है। इस गवाह ने साक्ष्य में यह भी कहा है कि उसकी साली गर्भवती हुई थी जिसकी जानकारी उसे है। अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा की गई जिरह में इस गवाह ने यह कहा है कि लिखित रिपोर्ट प्रदर्शपी—4 मदनसिंह, हुकमसिंह व जुगतसिंह ने लिखाई थी जिसमें क्या लिखा उसे जानकारी नहीं, उसने केवल हस्ताक्षर किये थे। पुलिस को उसने मौका प्रदर्शपी—2 नहीं दिखाया था तथा उस पर हस्ताक्षर कराये थे। प्रदर्शपी—2 उसे पढकर नहीं सुनाया था।

12— प्रस्तुत प्रकरण की पीड़िता "G" अभियोजन साक्षी संख्या—1 के रूप में परीक्षित हुई है जिसने अपने आपको 8वीं कक्ष में पढना, 20 साल की उम्र होना तथा 20.4.98 अपनी जन्म तिथि होना बताया है तथा कहा है कि घटना की तारीख याद नहीं है। 30 एसएलडी पीटीएम चौराहा पर घटना हुई थी तथा गलत काम राजीमन से मुल्जिम तुलछाराम से किया था। तुलछाराम ने उसके साथ गलत काम किया था वह उसके राजीमन से हुआ था जिससे वह गर्भवती हो गई थी व उसके बच्ची हुई। यह बात उसने अपनी मम्मी को बताई थी तथा न्यायालय में धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्शपी—1 होना स्वीकार किया है व उस पर अपने हस्ताक्षर होना भी कहा है एवं मां को यह कहा था कि वह तुलछाराम से शादी करेगी तो मां व पापा ने मना कर दिया था। उसके सामने प्रदर्शपी—2 पुलिस ने नक्शा मौका बनाया था एवं डॉक्टरी मुआयना उसका हुआ था।

13— अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा जो प्रतिपरीक्षण किया गया है उसमें अपनी जन्म तिथि 20.10.2000 तथा जन्म तिथि उसके पापा के द्वारा लिखाना साक्ष्य में कहा है तथा तुलछाराम अभियुक्त से विवाह करना चाहती हो प्रश्न पूछने पर उसने हां कहा है एवं घटना से पहले तुलछाराम के साथ एक बार वह अपनी मर्जी से गई थी भी कहा है।

14— हस्तगत प्रकरण में पीड़िता "G" के पिता मालसिंह अभियोजन साक्षी संख्या—2 एवं उसकी माता संतोष कंवर अभियोजन साक्षी संख्या—4 के रूप में परीक्षित

हुए हैं। यद्यपि पीड़िता "G" की माता संतोष कंवर को अभियोजन की ओर से उसकी ओर से मुख्य परीक्षण में किये गये प्रश्नों के दौरान पक्षद्रोही कराया गया है जिसने साक्ष्य में कहा है कि उसकी बच्ची पागल हो गई। तुलछाराम से उसकी लड़की ने विवाह करने को कहा था, उसने मना कर दिया था। बच्ची की उम्र 20 साल है। बच्ची की बच्ची को अलग रखना पड़ रहा है क्योंकि उसकी बच्ची पागल हो गई है। उसकी बच्ची की बच्ची का पिता तुलछाराम है। तुलछाराम उसकी ढाणी में आता–जाता रहता था जो बलवीर का मुनीम था। उसकी लड़की ने उसे बताया था कि वह तुलछाराम से विवाह करना चाहती है, उसने मना कर दिया था तथा पक्षद्रोही किये जाने पर पुलिस बयान प्रदर्शपी–6 व तितम्बा बयान प्रदर्शपी–7 में अंकित कथनों से इन्कार किया है तथा अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा की गई जिरह में कहा है कि उसकी लड़की के साथ जोर–जबरदस्ती की हो तो पता नहीं। उसकी लड़की ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। तुलछाराम व उसकी लड़की जब संपर्क में आये थे तब उसकी लड़की की उम्र 18 साल से ज्यादा थी तथा लड़की की कागजों में जन्म तिथि किसने लिखवाई उसे पता नहीं। उसका बड़ा बच्चा 30 साल का है, बाकी की उम्र पता नहीं है। सबसे छोटी उसकी बच्ची पीड़िता है। उसके 08 संतान हैं। उसका विवाह 08 साल की उम्र में हुआ था। पहली संतान 13 साल की आयु में हुई थी जिनमें बीच तीन–तीन साल का अंतर है।

15– अभियोजन साक्षी संख्या–2 मालसिंह जो कि पीड़िता "G" का पिता है, ने मुख्य परीक्षण में यह कहा है कि उसकी बच्ची के साथ तुलछाराम ने गलत काम किया था। उसकी बच्ची ने उसकी पत्नी को कहा था कि वह तुलछारदाम से विवाह करेगी लेकिन उसने मना कर दिया तथा मुकदमा कर दिया। तुलछाराम हाजिर अदालत को वह जानत है। इस बात को लेकर पंचायती हुई थी। पंचायती में उन्होने कहा था कि पैर पकड़कर माफी मांग लेते हैं, फिर इन लोगों ने उसे धमकाया था।

16– जिरह में इस गवाह ने पीड़िता की उम्र 20 साल होना एवं जन्म तिथि उसे याद नहीं होना तथा वह अनपढ होना कहा है। पीड़िता को उसने स्कूल में भर्ती करराया था, उस समय उसकी 6–7 साल उम्र थी। स्कूल में शिक्षक ने उसकी उम्र कम लिख दी। उम्र बाबत कोई फॉर्म भरकर उसने नहीं दिया। इसस बात को सही होना कहा है कि उसकी बच्ची तुलछाराम से विवाह करना चाहती थी लेकिन उसने और उसकी पत्नी ने कहा कि राजपूत और जाट होने से रिश्ता नहीं बैठ सकता। उसकी लड़की जिद नहीं छोड़ रही थी, इसलिए मुकदमा कर दिया। उसकी लड़की का मानसिक ईलाज 2–3 सालों से चल रहा है। तुलछाराम ने उसकी लड़की के साथ

जोर–जबरदस्ती की हो, ऐसा उसकी लड़की ने नहीं बताया और न ही ऐसा उसने सुना।

17– अभियोजन साक्षी संख्या–11 भवानीशंकर उर्फ भजनलाल अनुश्रुत साक्षी के रूप में परीक्षित हुआ है जिसने जिरह में कहा है कि बलात्कार की बात उसने सुनी सुनाई कही है। अभियोजन साक्षी संख्या–12 बनवारीलाल जो अभियुक्त तुलछाराम का भाई है, पक्षद्रोही हुआ है तथा अपने पुलिस बयान प्रदर्शपी–11 दिये जाने से इन्कार किया है।

18– प्रकरण में घटनास्थल का नक्शा व हालात मौका प्रदर्शपी–2 जहां अभियुक्त द्वारा पीड़िता "G" के साथ बलात्कार किया गया था, के संबंध में लक्ष्मणसिंह पी.डब्लू–16 एवं श्रवणसिंह पी.डब्लू–22 परीक्षित हुए हैं जिनमें लक्ष्मणसिंह पी.डब्लू–16 ने अपने मुख्य परीक्षण में श्रवणसिंह के रूबरू पुलिस के द्वारा पीड़िता व उसके परिवार वालों की निशादेही से घटनास्थल का मौका मुआयना करने तथा नक्शा व हालात मौका प्रदर्शपी–2 पर अपने हस्ताक्षर होना कहा है। जिरह में यह कहा है कि प्रदर्शपी–2 में पुलिस ने क्या लिखा उसे पता नहीं, फिर कहा कि बच्ची ने जो कहा था वही लिखा था। पीड़िता उसकी जाति की है, पड़ौसी है, सुरेन्द्रसिंह उसका बहनोई है। वह उसके रिश्ते में कुछ नहीं लगता।

19– अभियोजन साक्षी संख्या–22 श्रवणसिंह ने लक्ष्मणसिंह के रूबरू नक्शा मौका प्रदर्शपी–2 बनाये जाने की साक्ष्य दी है। जिरह में उसके अलावा मालसिंह, उसका जंवाई, पीड़िता वहीं मौजूद थे कहा है।

20– अभियुक्त तुलछाराम द्वारा अन्वेषण के दौरान अनुसंधान अधिकारी को घटनास्थल जहां बलात्कार किया गया, की तस्दीक के संबंध में दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला के अनुसरण में कशीद नक्शा मौका प्रदर्शपी–8 बाबत अभियोजन साक्षी संख्या–6 जसनाथ और अभियोजन साक्षी संख्या–5 रवि कुमार को परीक्षित कराया गया है जिनमें गवाह जसनाथ ने मुख्य परीक्षण में कहा है कि मालसिंह ने उन्हें बताया कि उसकी लड़की तुलछाराम के साथ भाग गई है तब वे पीछे गये तथा लड़की को लेकर आये व मालसिंह को सुपुर्द कर दिया। मालसिंह ने बताया कि लड़कीके पेट में तुलछाराम का बच्चा है। मालसिंह की ढाणी में पुलिस आयी थी, नक्शा मौका प्रदर्शपी–8 बनाया था। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि प्रदर्शपी–8 में क्या लिखा है उसे पढकर नहीं सुनाया। मालसिंह की लड़की इस घटना से पहले दो तीन बार अकेली भागी थी।

21– गवाह पी.डब्लू–5 रवि कुमार ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि तुलछाराम ने घटना से दो तीन माह पहले उसे बताया था कि उसकी पीड़िता के

साथ दोस्ती है, फिर उसके बाद लड़की भाग गई थी। मालसिंह ने बताया था कि उसकी लड़की के साथा तुलछाराम के गलत संबंध है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल ढाणी का मौका देखा था जो प्रदर्शपी–8 बनाकर उसके हस्ताक्षर कराये थे। इस गवाह ने जिरह में कहा है कि पीड़िता को तुलछाराम घर से भगाकर नहीं ले गया था।

22– मुल्जिम की फर्द गिरफ्तारी प्रदर्शपी–20 के संबंध में गवाह अलसीराम पी.डब्लू–17 और कृष्ण कुमार पी.डब्लू–15 परीक्षित हुए हैं जिन्होने दिनांक 13.10.16 को उनके सामने मुल्जिम तुलछाराम को गिरफ्तार किये जाने व प्रदर्शपवी–20 पर उनके हस्ताक्षर कराये जाना कहा है।

23– पीड़िता "G" के धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध किये गये बयान प्रदर्शपी–1 के संबंध में गवाह पी.डब्लू–18 डॉ. महेन्द्र कुमार गोयल, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि दिनांक 06.10.17 को वह न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर के पद पर था। उस दिन इस प्रकरण में पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत बयान लेखबद्ध करवाने के लिए थानाधिकारी महिला थाना द्वारा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर को संबोधित पत्र प्रदर्शपी–28 तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश प्रदर्शपी–29 तथा केस डायरी उसके समक्ष पेश किये जाने पर उसने पीड़िता को सम्मन जारी कर दिनांक 07.10.16 को पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान उसके कहे अनुसार लेखबद्ध किये जो प्रदर्शपी–1 है। आदेशिकाएं प्रदर्शपी–30 हैं। बयान लेखबद्ध किये जाने के बाद उक्त बयान एवं अन्य सुसंगत दस्तावेज जरिये गोपनीय पत्र प्रदर्शपी–31 श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश महोदय को उसी दिन प्रेषित किये।

24– पीड़िता "G" का मेडिकल मुआयाना करवाने बाबत प्रमुख चिकित्साधिकारी को दिया गया पत्र प्रदर्शपी–16 एवं उसके अनुक्रम में गठित मेडिकल बोर्ड जिसके द्वारा पीड़िता "G" का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्शपी–3 एवं अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण प्रदर्शपी–9 तैयार किया गया, के संबंध में डॉ. अनिल माथुर पी. डब्लू–8 एवं डॉ. मनीषा माथुर पी.डब्लू–9 परीक्षित हुए हैं जिनमें डॉ. अनिल माथुर पी. डब्लू–8 ने अपने साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 03.10.16 को वह जवाहिर चिकित्सालय में मेडिकल ज्यूरिस्ट पद पर था व पीएमओ के आदेश द्वारा गठित बोर्ड में वह, डॉ. मनीषा माथुर व डॉ. रविन्द्र सांखला थे तथा उन्होने पीड़िता का मेडिकल मुआयाना किया जिसके अनुसार पेट में एक मास पाया गया जिसकी साईज 22 से 24 सप्ताह की प्रेग्नेंट युटरस के बराबर पाई, बेलोटमेंट पाया गया, एफएसएस नहीं थी। फल्कुएशन व थ्रिल नहीं थी। जननांगों पर कोई बाह्य चोट नहीं थी। प्रेक्लर टैस्ट व

सोनोग्राफी की सलाह दी। दो प्रकार के सेंपल लिये। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शपी–3 है। दिनांक 14.10.16 को मुल्जिम तुलछाराम का परीक्षण किया जो प्रदर्शपी–9 है जिसमें वह स्वस्थ पाया गया। परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि तुलछाराम संभोग करने में असक्षम हों।

25– मेडिकल बोर्ड की अन्य सदस्या डॉ. मनीषा माथुर पी.डब्लू–9 ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि दिनांक 03.10.16 को वह एम.ओ. जैसलमेर के पद पर थी व पीएमओ द्वारा गठित बोर्ड में वह, डॉ. अनिल माथुर व डॉ. रविन्द्र सांखला सदस्य थे तथा उन्होने पीड़िता का मेडिकल मुआयाना किया। जिसके अनुसार पेट में एक मास पाया गया जिसकी साईज 22 से 24 सप्ताह की प्रेग्नेंट युटरस के बराबर पाई, बेलोटमेंट पाया गया, एफएसएस नहीं थी। फल्कुएशन व थ्रिल नहीं थी। जननांगों पर कोई बाह्य चोट नहीं थी। प्रेक्लर टैस्ट व सोनोग्राफी की सलाह दी। दो प्रकार के सेंपल लिये। परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्शपी–3 है।

26– प्रकरण में पीड़िता "G" की सोनोग्राफी रिपोर्ट प्रदर्शपी–12 एवं सोनोग्राफी फिल्म प्रदर्शपी–13 के संबंध में डॉ. भीमपाल गहलोत पी.डब्लू–21 को परीक्षित कराया गया है जिन्होने अपनी साक्ष्य में कहा है कि दिनांक 04.10.16 को वह सेटेलाइट अस्पताल मण्डोर जोधपुर में रेडियोलोजिस्ट पद पर था। उस दिन पीड़िता के पेट की सोनोग्राफी कर रिपोर्ट प्रदर्शपी–12 दी व सोनोग्राफी के 6 प्रिण्ट की शीट प्रदर्शपी–13 है। सोनोग्राफी के समय पीड़िता के गर्भाशय में पच्चीस सप्ताह और दो दिन का जीवित भ्रूण था। प्लेसेण्टा गर्भाशय की पिछली दीवार पर था। गर्भाशय में सामान्य मात्रा का द्रव था। डिलीवरी होने की अनुमानित तारीख 15.01.2017 आ रही थी। पीड़िता के पेट के अन्य अंगों की सोनोग्राफी सामान्य पाई गई थी।

27– प्रकरण में पीड़िता "G" एवं अभियुक्त के जो नमूना सेंपल लिये गये, उसके संबंध में पुलिस अधीक्षक द्वारा उप–निदेशक एफएसएल को राय हेतु लिखा गया पत्र एवं अधिकार पत्र प्रदर्शपी–10, प्रदर्शपी–22 एवं प्रदर्शपी–24 के संबंध में गवाह पी.डब्लू–14 मदनपालसिंह, पी.डब्लू–10 मालाराम, पी.डब्लू–19 प्रेमशंकर और अनुसंधान अधिकारी पी.डब्लू–13 जेठाराम परीक्षित हुए हैं जिनमें पी.डब्लू–13 जेठाराम ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि पीड़िता व मुल्जिम के मेडिकल बोर्ड द्वारा लिये गये सेंपल एफएसएल जांच हेतु जरिये अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी–22 एसपी साहब को भेजे गये। एसपी साहब द्वारा एफएसएल को लिखा पत्र प्रदर्शपी–10 तथा एफएसएल जमा रसीद प्रदर्शपी–23 शामिल पत्रावली किये। रोड सर्टिफिकेट प्रदर्शपी–24 है।

28– इसी क्रम में गवाह पी.डब्लू–19 प्रेमशंकर ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि प्रकरण में दिनांक 24.11.16 को मेडिकल बोर्ड द्वारा लिए गए सेंपल के तीन जार

सीलबंद हालत में मदनपालसिंह कानि. को एफएसएल में जमा कराने हेतु सुपुर्द किये जिसने एसपी कार्यालय से अग्रेषण पत्र तैयार करवाकर एफएसएल बीकानेर में जमा करवाकर प्राप्ति रसीद लाकर उसे पेश की।

29— गवाह पी.डब्लू—14 मदनपालसिंह ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि प्रेमशंकर एचसी ने एफएसएल जांच हेतु तीन कांच के जार सीलबंद हालत में जरिये थाने का अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी—22 व रोड सर्टिफिकेट प्रदर्शपी—24 उसे सुपुर्द किये जो उसने एसपी ऑफिस के एचसी मालाराम को सुपुर्द किये जिसने एसपी ऑफिस से अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी—10 तैयार कर सीलबंद हालत में उसे सुपुर्द किये। उसने एफएसएल बीकानेर में उक्त माल जमा करवाकर प्राप्ति रसीद प्रदर्शपी—23 लाकर अनुसंधान अधिकारी को दी थी।

30— इसी प्रकार गवाह पी.डब्लू—10 मालाराम ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि महिला थाना जैसलमेर से मदनपालसिंह कानि. ने इस प्रकरण में प्रादर्श कुल तीन जार सीलबंद अवस्था में थाने के अग्रेषण पत्र व रोड के मार्फत लाकर उसके समक्ष पेश किये जिस पर उसने अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी—10 तैयार कर एफएसएल में जमा करवाने हेतु मदनपालसिंह को सीलबंद हालत में सुपुर्द किये।

31— पीड़िता “G” की घटना के समय उम्र के बाबत दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में प्रदर्शपी—14 कार्यालय प्रधानाध्यापक, राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भोजासर छोटा द्वारा जारी पत्र और सत्र 2013—14 में उक्त स्कूल के द्वारा जारी प्रगति पत्र के बाबत अभियोजन साक्षी संख्या—20 रामानंद छावल को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि थानाधिकारी महिला थाना जैसलमेर द्वारा चाही गई सूचना उसने स्कूल रेकर्ड देखकर दी थी। स्कूल का प्रमाण पत्र प्रदर्शपी—14 के अनुसार पीड़िता की जन्म दिनांक 20.9.2000 थी जो प्रमाण पत्र उसने दिनांक 08.12.16 को जारी किया था। प्रदर्शपी—14 पर सी से डी विद्यालय की सील व उसके हस्ताक्षर हैं।

32— प्रस्तुत प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी जेठाराम पी.डब्लू—13 के रूप में परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि दिनांक 05.10.16 को वह थानाधिकारी महिला थाना जैसलमेर के पद पर था। उस दिन इस प्रकरण का अनुसंधान उसने शुरू किया व पीड़िता के 161 दं.प्र.सं. के बयान महिला कानि. सरोज की उपस्थिति में कहे अनुसार लेखबद्ध किये एवं अन्य गवाहान के भी धारा 161 दं.प्र.सं. के तहत बयान लेखबद्ध किये। घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्शपी—2 बनाया। पीड़िता के 164 दं.प्र.सं. के बयान प्रदर्शपी—1 लेखबद्ध करवाये। पीड़िता का यौन अपराध संबंधी मेडिकल करवाकर रिपोर्ट प्रदर्शपी—3 शामिल पत्रावली

की। पीड़िता की सोनोग्राफी करवाई जिसकी रिपोर्ट प्रदर्शपी–12 व फिल्म प्रदर्शपी–13 है। पीड़िता की जन्मतिथि का रिकॉर्ड प्रदर्शपी–14 प्राप्त कर शामिल पत्रावली किया। पीड़िता का प्रगति पत्र प्रदर्शपी–15, पीड़िता का मेडिकल वास्ते तहरीर, बोर्ड गठन हेतु पीएमओ को दी गई तहरीर, 164 सीआरपीसी के बयान हेतु दी गई तहरीर व मुल्जिम तुलछाराम का मेडिकल करवाने हेतु दी गई तहरीर क्रमशः प्रदर्शपी–16 से 19 शामिल पत्रावली किये। तुलछाराम को जरिये प्रदर्शपी–20 गिरफ्तार किया जिसने स्वेच्छापूर्वक इत्तला दी जिसकी फर्द प्रदर्शपी–21 बनाई जिसके आधार पर तुलछाराम ने घटनास्थल की तस्दीक कराई जिसकी फर्द प्रदर्शपी–8 बनाई। मुल्जिम का मेडिकल करवाकर रिपोर्ट प्रदर्शपी–9 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की। पीड़िता व मुल्जिम के मेडिकल बोर्ड द्वारा लिये गये सेंपल एफएसएल जांच हेतु जरिये अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी–22 एसपी साहब को भेजे गये। एसपी साहब द्वारा एफएसएल को लिखा पत्र प्रदर्शपी–10 तथा एफएसएल जमा रसीद प्रदर्शपी–23 शामिल पत्रावली किये। रोड सर्टिफिकेट प्रदर्शपी–24, मालखाना रजिस्टर की प्रति प्रदर्शपी–25, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पिटीशन 2857/2016 के निर्णय की प्रति मय मालसिंह, पीड़िता व श्रीमती संतोष कंवर के शपथ पत्र जरिये प्रार्थना पत्र उसके समक्ष पेश किये जो प्रदर्शपी–26 है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पीड़िता व अभियुक्त व पीड़िता के गर्भ से जन्मी बच्ची का डीएनए टेट करवाकर रिपोर्ट प्रदर्शपी–27 न्यायालय में पेश की। बाद अनुसंधान मुल्जिम तुलछाराम के विरूद्ध धारा 376 भा.द.सं. व 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

33– जिरह में उक्त गवाह ने हालांकि कहा है कि पीड़िता की बच्ची पूर्ण रूप से 09 माह के बाद जन्मी थी। बच्ची 06 माह के गर्भ की होना तफ्तीश में आया था। उसकी तफ्तीश में पीड़िताा का एक बार पहले भी भागना सामने आया था। तुलछाराम के पास जाने के लिये वह भागी थी। पीड़िता की उम्र 18 साल से कम थी, उसने 161 व 164 दं.प्र.सं. के बयानों में अपनी उम्र 16 साल बताई है। इस संबंध में जन्म प्रमाण पत्र विद्यालय से लिया था, अन्य कोई जन्म तिथि का प्रमाण पत्र नहीं लिया था। पीड़िता का दाखिला स्कूल में किस आधार पर किया गया, इसका जन्म प्रमाण पत्र भी पत्रावली में नहीं है। उसने स्कूल से वह आवेदन पत्र मांगा था लेकिन स्कूल ने जन्म तिथि लिखकर दी तथा इस बात को सही होना कहा है कि प्रथम बार जन्म तिथि दर्ज करने वाले रजिस्टर व आवेदन को उसने नहीं देखा। पीड़िता का प्रथम कक्षा में आवेदन किसके द्वारा किया गया था उसे नहीं पता। प्रदर्शपी–15 वर्ष 2013–14 का है तथा इस बात को सही होना कहा है कि जन्मतिथि के संबंध में पीड़िता के माता–पिता के शपथ पत्र नहीं लिये एवं पीड़िता विद्यालय में कब भर्ती हुई

उसका हवाला प्रदर्शपी–14 में नहीं है। इस बात को गलत होना कहा है कि रिपोर्ट करते समय पीड़िता की उम्र 18–20 साल हो तथा इसलिए उसने एसआर रजिस्टर व आवेदन पत्र पत्रावली में नहीं लिया हो। पहले भी माता–पिता से छिपकर वो तुलछाराम के पीछे भागी थी क्योंकि तुलछाराम पहले गांव चला गया था।

34– अभियोजन पक्ष की ओर से जो साक्ष्य प्रस्तुत हुई है जिसका विवेचन उक्त प्रकार से किया गया है, के अनुसार घटना दिनांक 03.10.16 के 3–4 माह पूर्व पीड़िता अवयस्क थी, के बाबत यद्यपि स्वयं पीड़िता "G" एवं उसके माता–पिता की साक्ष्य में घटना के वक्त पीड़िता 18 साल से ऊपर 20 साल की होना कहा गया है परंतु पीड़िता "G" पी.डब्लू–1 से अधिवक्ता मुल्जिम द्वारा जो प्रतिपरीक्षण किया गया है उसमें अपनी स्कूल में जन्म तिथि 20.10.2000 होना एवं यह तिथि उसके पापा के द्वारा लिखाया जाना स्वीकार किया है। पीड़िता "G" के पिता मालसिंह पी.डब्लू–2 की साक्ष्य से यह आया है कि उसी ने पीड़िता को स्कूल में भर्ती कराया था। यद्यपि साक्ष्य में यह भी कहा है कि स्कूल के शिक्षक ने उसकी उम्र कम लिख दी थी तथा वह अनपढ है परंतु अन्वेषण के दौरान पीड़िता "G" के उम्र संबंधी जो दस्तावेज प्रदर्शपी–14 एवं प्रदर्शपी–15 प्रदर्शित कराये गये हैं उनमें प्रदर्शपी–15 सत्र 2013–2014 में राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भोजासर छोटा के द्वारा पीड़िता "G" का जारी किया गया प्रगति पत्र है तथा प्रधानाध्यापक राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भोजासर छोटा के द्वारा प्रदर्शपी–14 जो जारी किया गया है उसमें पीड़िता "G" के स्कूल रजिस्टर के 660 नंबर पर दर्ज होना एवं रिकॉर्ड अनुसार उसकी जन्म तिथि 20.9.2000 होना प्रदर्शित होता है। इसके संबंध में गवाह पी.डब्लू–20 रामानंद छावल एवं प्रकरण के अनुसंधानकर्ता पी.डब्लू–13 जेठाराम के बयानों से यह आया है कि घटना के वक्त पीड़िता "G" अवयस्क थी, यद्यपि उसका प्रथम कक्षा में जब उसे दाखिला दिया गया, आवेदन पत्र प्रदर्शित नहीं हुआ है परंतु जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्शपी–14 एवं प्रदर्शपी–15 जारी किये गये हैं, वे राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भोजासर छोटा द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र हैं जिनके अनुसार घटना के वक्त पीड़िता "G" अवयस्क थी तथा उक्त दोनों दस्तावेजात की वैधता पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है तथा न ही अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा उक्त दस्तावेजात के कूटरचित अथवा मिथ्या होने के संबंध में कोई प्रश्न अभियोजन गवाहान से पूछे गये हैं। पीड़िता "G" का राजकीय माध्यमिक विद्यालय, भोजासर छोटा द्वारा सत्र 2013–14 का जारी प्रगति पत्र में भी पीड़िता की जन्म तिथि 20.9.2000 अंकित की

गई है तथा यह दस्तावेज हस्तगत प्रकरण की घटना से पूर्व का है तथा राजकीय स्कूल में विद्यार्थी पीड़िता का प्रवेश भी घटना के पूर्व का ही है जिससे भी उक्त दस्तावेज की सत्यता को नकारा नहीं जा सकता है। इसके अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अनुसार **''किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोकसेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।''** इसके अलावा पीड़िता का चिकित्सीय बोर्ड द्वारा किया गया परीक्षण प्रदर्शपी–3 में भी आयु 16 वर्ष अंकित की है जिसमके बाबत जिरह में कोई प्रश्न नहीं किये गये हैं। अतः उक्त संपूर्ण विवेचनानुसार यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि घटना के समय पीड़िता "G" अवयस्क थी तथा उसने वयस्कता की आयु को प्रापत नहीं किया था।

35– न्यायालय के समक्ष अब प्रश्न यह है कि घटना के वक्त क्या अभियुक्त के द्वारा पीड़िता "G" के साथ उत्तेजित भेदन यौन हमला किया गया जिसके परिणामस्वरूप वह गर्भवती हुई। इस संबंध में अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य आई है उसमें स्वयं पीड़िता "G" ने अपनी साक्ष्य में यह भलीभांति कहा है कि तुलछाराम ने उसके साथ गलत काम किया था जिससे वह गर्भवती हो गई थी व उससे उसके बच्ची हुई। यह बात उसने अपनी मम्मी को बताई थी जिसकी सम्पुष्टि चिकित्सीय साक्षी डॉ. अनिल माथुर पी.डब्लू–8 और डॉ. मनीषा माथुर पी.डब्लू–9 ने की है तथा साक्ष्य में बताया है कि जांच करने पर पीड़िता के 22–24 सप्ताह का प्रेगनेंट यूट्रस पाया गया तथा गवाह पी.डब्लू–21 डॉ. भीमपाल गहलोत, रेडियोलोजिस्ट ने भी अपनी साक्ष्य में पीड़िता की सोनोग्राफी करने पर उसके गर्भाशय में पच्चीस सप्ताह दो दिन का जीवित भ्रूण होना बताया है।

36– यद्यपि मुल्जिम के द्वारा अपने बयान मुल्जिम में यह प्रतिरक्षा ली गई है कि पीड़ता के संबंध उसके बहनोई सुरेन्द्र के साथ थे, ने गलत काम किया था, इस बाबत विचारण के समय भी अभियुक्त के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष एस.बी. क्रिमिनल मिसलेनियस जमानत याचिका संख्या 3974/2017 प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष अभियुक्त द्वारा यह क्लेम किया गया था कि पीड़िता की बच्ची का वह पिता नहीं है, उसका डी.एन.ए. टेस्ट कराया जावे। अभियुक्त की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 23.5.2017 के आदेशानुसार अनुसंधान अधिकारी को दिये गये

निर्देश के क्रम में अभियुक्त तुलछाराम, पीड़िता "G" एवं उसकी नवजात बालिका सभी का डीएनए टेस्ट कराया गया जिसकी रिपोर्ट प्रदर्शपी–27 के रूप में प्रदर्शित है जिस रिपोर्ट का परिणाम और निष्कर्ष निम्नलिखित प्रकार से है :–

RESULT OF EXAMINATION

The alleles of the female DNA profile obtained from exhibit no. 1 (Control blood sample of Baby) are matching with the DNA profile obtained from exhibit no. 2 (Control blood sample of victim Pawan Kanwar) and 3 (Control blood sample of Sh. Tulsa Ram).

CONCLUSION

On the basis of DNA test, it is concluded that the source of DNA profile obtained from exhibit no. 1 (Control blood sample of Baby) is biological daughter of source of DNA profiles obtained from exhibit no. 2 (Control blood sample of victim Pawan Kanwar) and 3 (Control blood sample of sh. Tulsa Ram).

37– उक्त डीएनए टेस्ट रिपोर्ट में यह आया है कि पीड़िता "G" के गर्भ से जन्मी बच्ची अभियुक्त तुलछाराम की जैविक पुत्री है तथा पीड़िता "G" ने अपने धारा 164 दं.प्र.सं. के बयानों में यह कहा है कि अभियुक्त ने उसके साथ गलत काम किया। यद्यपि न्यायालय के समक्ष साक्ष्य में पीड़िता ने राजीमन से अभियुक्त द्वारा उसके साथ गलत काम करना कहा है लेकिन नाबालिग द्वारा दी गई सहमति/इच्छा विधि की दृष्टि में महत्वहीन है। साथ ही घटना के समय अभियुक्त की संभोग क्षमता के संबंध में गवाह पी.डब्लू–8 डॉ. अनिल माथुर ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मुल्जिम तुलछाराम का परीक्षण किया जो प्रदर्शपी–9 है जिसमें वह स्वस्थ पाया गया। परीक्षण में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया गया कि तुलछाराम संभोग करने में असक्षम हों।

38– इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है कि अभियुक्त ने पीड़िता जो घटना के वक्त अवयस्क थी, के साथ उत्तेजित भेदन यौन हमला (Aggravated Penetrative sexual assault) किया जिससे वह गर्भवती हुई व तत्पश्चात बालिका शिशु को जन्म दिया। इस प्रकार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराधों में दोषसिद्ध किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश :–

39– परिणामतः अभियुक्त तुलछाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी मलसीसर पी.एस. सरदार शहर जिला–चुरू को धारा **5(j)(ii)/6** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

(डॉ. मनोज कुमार सोनी)
विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
जैसलमेर।

40– सजा के बिन्दु पर अभियुक्त, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना हैं कि अभियुक्त नौजवान व्यक्ति होकर अपने परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है तथा पिछले करीब 02 वर्ष से न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अतः अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जावे।

41– वहीं दूसरी तरफ विद्वान अपर लोक अभियोजक ने राज्य की ओर से निवेदन किया कि अभियुक्त द्वारा नाबालिग बच्ची के साथ उत्तेजित भेदन यौन हमला कर उसे गर्भवती किया है एवं इसके लिये जिम्मेदार पीड़िता के जीजा को ठहराते हुए पीड़िता के गर्भ से जन्मी बच्ची को अपनी होने से भी इन्कार किया है, ऐसी स्थिति में अभियुक्त को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे।

42– उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध नाबालिग बच्ची के साथ उत्तेजित भेदन यौन हमला कर उसे गर्भवती करने का गंभीर अपराध प्रमाणित हुआ है तथा वर्तमान समय में इस प्रकृति के अपराधों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। साथ ही अभियुक्त ने पीड़िता के गर्भ से जन्मी बच्ची को अपनी होने से भी इन्कार करते हुए इसके लिये पीड़िता के बहनोई को जिम्मेदार ठहराकर पीड़िता व उसके बहनोई दोनों के चरित्र को लांछित किया है व अवयस्क पीड़िता के साथ अभियुक्त द्वारा किया गया यह कृत्य उत्तेजित भेदन यौन हमले की श्रेणी का है व मुख्य रूप से इस कृत्य से पीड़िता व उसकी नवजात बच्ची के साथ शारीरिक, मानसिक क्रूरता हुई है जिस कारण पीड़िता अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है और उसकी नवजात बच्ची को उससे (पीड़िता से) अलग रखना पड़ रहा है। अतः ऐसे गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्त को परीविक्षा का लाभ दिया जाना कतई न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। इस संबंध में यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि समस्त भारतीय प्रजा की मांग के अनुक्रम में भारतीय संसद ने इस पवित्र दण्ड विधान को जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निर्मित किया, वे प्राप्त हो। आपराधिक विधि

शास्त्र का यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि अभियुक्त के दोषसिद्ध पाये जाने पर उसे उचित दण्ड से दण्डित किया जाना चाहिये। उचित दण्ड ही समस्त प्रजा की रक्षा करता है तथा जब नागरिक सो जाते हैं तब ''दण्ड'' ही अकेला जागकर समस्त प्रजा की रक्षा करता है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के समस्त तथ्यों–परिस्थितियों, अभियुक्त के कृत्य, आचरण, पीड़िता व उसकी नवजात बालिका शिशु के अपूरणीय दर्द को महसूत करते हुए ऐसे गंभीर अपराध के मामले में अभियुक्त को न्यूनतम कारावास की बजाय आजीवन कारावास से दण्ड से दण्डित करना न्यायोचित समझता हूं।

43– यह न्यायालय इस निर्णय को पूर्ण करने से पूर्व इस संबंध में दण्डादेश के साथ यह भी आदेश दिया जाना उचित समझता है कि पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य भी न्यायालय के समक्ष हैं कि अभियुक्त ने पीड़िता के साथ जो कुकृत्य किया है जिससे न केवल पीड़िता का जीवन खराब हो गया है और वह मानसिक रूप से बीमार हो चुकी है बल्कि उसकी नवजात बच्ची को भी पीड़िता से अलग रखना पड़ रहा है, अतः पीड़िता एवं उसकी नवजात बच्ची के सम्यक् पुनर्वास एवं वर्तमान व भविष्यवर्ती भरण पोषण हेतु उनको पर्याप्त प्रतिकर दिलाया जाना चाहिये। अतः यह न्यायालय पीड़िता एवं उसकी नवजात बच्ची के पुनर्वास एवं भरण पोषण हेतु धारा 357क दं.प्र.सं. पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत प्रतिकर दिये जाने की अनुशंषा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर से करता हैं।

::दण्डादेश::

44– अतः अभियुक्त तुलछाराम पुत्र दीपाराम जाति जाट निवासी मलसीसर पी.एस. सरदार शहर जिला–चुरू को धारा **5(j)(ii)/6** लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के आरोप में दोषसिद्धि के लिए आजीवन कारावास और 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपए) के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता हैं। अदम अदायगी अर्थदण्ड छः (6) माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावे। पूर्व में अभियुक्त द्वारा इस प्रकरण में बिताई गई पुलिस या न्यायिक अभिरक्षा की अवधि को मूल सजा में मुजरा कर दिया जावे। धारा 357 दं.प्र.सं. के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त अर्थदण्ड की राशि में से 50,000/– रू0 पीड़िता को नकद एवं 50,000/– रू0 पीड़िता की नवजात बच्ची को जरिये प्राकृतिक संरक्षक माता सावधि जमा के रूप में बतौर प्रतिकर अदा की जावे।

45– उक्त प्रतिकर की राशि पीड़िता व उसकी नवजात बच्ची के जीवन–यापन के लिये यह न्यायालय पर्याप्त नहीं मानता है। अतः धारा 357क दं.प्र.सं. एवं राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2011 के तहत समुचित प्रतिकर दिलाये जाने के संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसलमेर को अनुशंषा की जाती है।

46— अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्त को सजा भुगताने हेतु सजा वारण्ट बनाकर आज ही भिजवाया जावे। निर्णय व दण्डादेश की प्रति अभियुक्त को निःशुल्क आज ही उपलब्ध करवायी जावे।

(डॉ. मनोज कुमार सोनी)
विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
जैसलमेर।

47— निर्णय, आदेश एवं दण्डादेश आज दिनांक 29.9.18 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मनोज कुमार सोनी)
विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
जैसलमेर।

प्रदर्शात सूची

(LIST OF EXHIBITS)

1.	प्रदर्शपी–1	पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान दिनांक 07.10.16
2.	प्रदर्शपी–2	नक्शा व हालात मौका दिनांक 09.10.16
3.	प्रदर्शपी–3	मेडिकल बोर्ड द्वारा पीड़िता के किये गये मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 03.10.16
4.	प्रदर्शपी–4	तहरीरी रिपोर्ट दिनांक 03.10.16
5.	प्रदर्शपी–5	161 दं.प्र.सं. बयान सुरेन्द्रसिंह दिनांक 05.10.16
6.	प्रदर्शपी–6	161 दं.प्र.सं. बयान श्रीमती संतोष कंवर दिनांक 09.10.16
7.	प्रदर्शपी–7	तितम्बा बयान श्रीमती संतोष कंवर दिनांक 23.11.16
8.	प्रदर्शपी–8	घटनास्थल तस्दीक रिपोर्ट दिनांक 15.10.16
9.	प्रदर्शपी–9	अभियुक्त तुलछाराम के मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट दिनांक 14.10.16
10.	प्रदर्शपी–10	एसपी कार्यालय से एफएसएल को लिखा गया पत्र दिनांक 24.11.16
11.	प्रदर्शपी–11	161 दं.प्र.सं. बनवारीलाल दिनांक 15.10.16
12.	प्रदर्शपी–12	पीड़िता की सोनोग्राफी रिपोर्ट दिनांक 04.10.16
13.	प्रदर्शपी–13	पीड़िता की सोनोग्राफी फिल्म
14.	प्रदर्शपी–14	पीड़िता का स्कूल प्रवेश रजिस्टर संबंधी प्रमाण पत्र दिनांक 08.12.16
15.	प्रदर्शपी–15	पीड़िता का वर्ष 2013–14 का प्रगति पत्र
16.	प्रदर्शपी–16	थानाधिकारी महिला थाना जैसलमेर द्वारा पीएमओ को मेडिकल बोर्ड के गठन बाबत लिखा गया पत्र दिनांक 03.10.16
17.	प्रदर्शपी–17	मेडिकल बोर्ड के गठन बाबत पीएमओ का आदेश दिनांक 03.10.16
18.	प्रदर्शपी–18	एसएचओ महिला थाना जैसलमेर द्वारा सीजेएम जैसलमेर को पीड़िता के 164 दं.प्र.सं. के बयान लेने हेतु पेश प्रार्थना पत्र की प्रति दिनांक 05.10.16
19.	प्रदर्शपी–19	एसएचओ महिला थाना जैसलमेर द्वारा मेडिकल ज्यूरिस्ट को अभियुक्त का यौन संबंधी मेडिकल करने हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 14.10.16

20.	प्रदर्शपी–20	फर्द गिरफ्तारी अभियुक्त दिनांक 13.10.16
21.	प्रदर्शपी–21	अभियुक्त द्वारा दी गई धारा 27 साक्ष्य अधिनियम की इत्तला दिनांक 14.10.16
22.	प्रदर्शपी–22	एसएचओ महिला थाना जैसलमेर द्वारा एसपी जैसलमेर को लिखित पत्र दिनांक 24.11.16
23.	प्रदर्शपी–23	एफएसएल में माल जमा होने की रसीद दिनांक 25.11.16
24.	प्रदर्शपी–24	रोड सर्टिफिकेट दिनांक 24.11.16
25.	प्रदर्शपी–25	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी–25
26.	प्रदर्शपी–26	बलवीरसिंह द्वारा एसएचओ महिला थाना जैसलमेर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 04.11.16
27.	प्रदर्शपी–27	डी.एन.ए. परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 19.7.17
28.	प्रदर्शपी–28	एसएचओ महिला थाना जैसलमेर द्वारा सीजेएम जैसलमेर को पीड़िता के 164 दं.प्र.सं. के बयान लेने हेतु पेश मूल प्रार्थना पत्र दिनांक 05.10.16
29.	प्रदर्शपी–29	सीजेएम जैसलमेर द्वारा पीड़िता के 164 दं.प्र.सं. के बयान लेने हेतु पारित आदेशिका दिनांक 05.10.16
30.	प्रदर्शपी–30	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा पीड़िता के 164 दं.प्र.सं. के बयान लेने की कार्यवाही संबंधी जारी आदेशिका दिनांक 06.10.16
31.	प्रदर्शपी–31	न्यायिक मजिस्ट्रेट, जैसलमेर द्वारा पीड़िता के धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत लेखबद्ध बयान प्रेषित करने हेतु श्रीमान सैशन न्यायाधीश, जैसलमेर को प्रेषित गोपनीय पत्र दिनांक 07.10.16

(डॉ. मनोज कुमार सोनी)
विशेष न्यायाधीश,
लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 एवं
बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005
जैसलमेर।